न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्डअधिकारी) रेलमगरा

(पिठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 1016 / 2018
दायर दिनांक – 14 / 12 / 2018
निर्णय दिनांक – 29 / 07 / 2019

अनवान

1. मांगीलाल पिता उदयराम, जाति कुमावत
2. चान्दु पिता हरा कुमावत निवासीयान बामणिया कला

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम बामणिया कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित आराजी संख्या 1387 रकबा 00–18 बीघा प्रार्थी संख्या 01 एक व लेहरी पत्नि स्व. उदयराम जी के स्वामित्व आधिपत्य की स्थित है परन्तु लेहरी बाई की मृत्यु हो चुकी है जो लेहरी बाई के विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 01 ही है तथा आराजी संख्या 2517 / 1387 रकबा 00–17 बीघा प्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व व आधिपत्य की स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रतिलिपि साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1387, 2517 / 1387 कुल किता 02 कुल रकबा 01–15 बीघा के चारो तरफ किसी प्रकार का कोई सीमाकंन बाबत् स्थाई रूप से कोई चिन्ह अंकित नहीं है न ही मौके पर विद्यमान है जिसमें प्रार्थीगण की आराजीयात् के पडोसियों के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की आशंका बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात् के चारो तरफ स्थाई रूप से सीमाकंन के रूप में पत्थरगडडी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में कभी सीमा सम्बंधित प्रार्थीगण के बीच एवं अन्य पडोसियों के बीच कोई विवाद नहीं हो। इस बाबत् प्रार्थीगण के लिये यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1387, 2517 / 1387 कुल किता 02 कुल रकबा 01–15 बीघा के चारो तरफ

के पडोसियो की आराजीयात् के बीच किसी प्रकार के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडोसी आये दिन सीमा सम्बधित विवाद करते रहते है। जिस बाबत् प्रार्थीगण ने सीमा सम्बंधित जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र विपक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर विपक्षी द्वारा मौके पर दिनांक 12.05.2018 को सीमा जानकारी की गई फिर भी प्रार्थीगण के आराजीयात् के पडोसी सीमा को लेकर संतुष्ट नहीं होने से व प्रार्थीगण के साथ सीमा को लेकर बार बार कहासुनी करते है जिससे प्रार्थीगण द्वारा विवश होकर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत करना पड रहा है प्रार्थना पत्र का हेतु जब जब प्रार्थीगण ने विपक्षी को सीमा जानकारी कराने के लिये कहा एवं दिनांक 12.05.2018 को सीमा जानकारी की गई परन्तु फिर भी पडोसी आराजीयात् वाले नहीं मान रहे है तथा दिनांक 25.10.2018 को प्रार्थीगण के साथ सीमा को लेकर लडाई झगडा करने पर आमदा हुए जिससे प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निन्तर जारी है।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षी की ओर से पेराकार सरकार ने उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने हेतु अन्नापति जाहीर की गई।

अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम बामणिया कला के आराजी संख्या 1387, 2517/1387 कुल किता 02 रकबा 01–15 बीघा भुमि के चारो दिशाओ की पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/7/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा